सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।

सेवा में,

1- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।

2- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांक:गु0वि0 / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 पुनर्गठन /3490/ 2011-12 दिनॉक 12 अक्टूबर, 2011

विषय:-ब्लॉक संसाधन केन्द्र सह-समन्वयक के शिक्षण अनुभव की अवधि में संशोधन के संबंध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3903 / 79-5-2010-424 / 02टी.सी. दिनॉक 02 फरवरी, 2011 के प्रस्तर 7 (2) एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक-गु0वि0 / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 पुनर्गठन / 5539 / 2010-11 दि0 10 फरवरी, 2011 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जो बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 सह-समन्वयक पद पर चयन हेतु परिषदीय विद्यालय में कम से कम 08 वर्ष के शिक्षण अनुभव के संबंध में है।

इस संबंध में जनपदों द्वारा यह अवगत कराया गया था कि बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 सह-समन्वयक के पद पर चयन हेतु प्राथमिक / पूर्व मा0 विद्यालय में कम से कम 08 वर्ष का शिक्षण अनुभव की अर्हता निर्धारित होने के कारण पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिलने में कठिनाई हो रही है। उक्त परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश दिनॉक 02 फरवरी, 2011 के प्रस्तर 7(2) में प्राविधानित व्यवस्था " बी0आर0सी0 / यू0आर0सी0 सह-समन्वयकों के पद पर चयन हेतु प्राथमिक / पूर्व मा0 विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव" के स्थान पर शासनादेश संख्या-2548 / 79-5-2011- 424 / 02टी.सी.-II दिनॉक 03 अक्टूबर, 2011 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निम्नवत व्यवस्था की गयी है :-

"ब्लाक / नगर संसाधन केन्द्र सह-समन्वयक पद पर चयन के संदर्भ में अभ्यर्थी का परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए।"

कृपया उपर्युक्त से अवगत होते हुए ब्लाक / नगर संसाधन केन्द्र सह-समन्वयक पद पर चयन / पदस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्।

भवदीय,
11/10/11

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0: गु0वि0 / बी0आर0सी0 / एन0पी0आर0सी0 पुनर्गठन /3490/ 2010-11 तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. शिक्षा निदेशक(बेसिक),उ0प्र0, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,उ0प्र0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा), उ0प्र0, लखनऊ।
6. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
8. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. अनु सचिव, शिक्षा अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

11.10.11

(दिनेश बाबू शर्मा)
अपर परियोजना निदेशक

संख्या– 2548/79–5–2011–424/02टी.सी.–11

प्रेषक,

अनिल संत,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद,
लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–5

लखनऊ: दिनांक: 03 अक्टूबर, 2011

विषयः–**सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों एवं ब्लाक संसाधन केंद्रों के पुनर्गठन संबंधी।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–3903/79–5–10–424/02टी0सी0 दिनांक 02–2–2011 एवं अपने पत्र सं0–गु0वि0/संसाधन केंद्र पुनर्गठन/1785/2011–12 दिनांक 25–7–2011 का संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 02–2–2011 के प्रस्तर–7(2) में प्राविधानित व्यवस्था "बी0आर0सी0/यू0आर0सी0 सह–समन्वयकों के पद पर चयन हेतु प्राथमिक/पूर्व मा0वि0 में शिक्षण का कम से कम 08 वर्ष का अनुभव" के स्थान पर "**ब्लाक/नगर संसाधन केंद्र सह समन्वयक पद पर चयन के संदर्भ में अभ्यर्थी का परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षण का कम से कम 06 वर्ष का अनुभव अनिवार्य रूप से होना चाहिए**" पढ़ा जाये।

3– उक्त सीमा तक उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 02–2–2011 संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(अनिल संत)
सचिव।

Sh. B. Singh

APD
4/10/11

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0, लखनऊ।
2. निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ0प्र0।
6. समस्त डायट प्राचार्य/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्द्रराज सिंह)
अनु सचिव।